

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) – द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E)-II UTTAR PRADESH, PRAYAGRAJ



पत्रांक:- नि0 वि0-॥/03/ \$2 624

दिनांक :- 19/06/2025

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एकीकृत पेंशन योजना का संचालन) विनिमय, 2025 द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना (UPS) शुरू करने का निर्णय लिया गया है जो की 01 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस संबंध में मुख्यालय के पत्र संख्या 69 स्टाफ हकदारी (नियम) / ए.आर./05-2023 दिनांक 05/05/2025 की छाया प्रति स्लभ संदर्भ हेत् संलग्न है।

PFRDA रेग्युलेशन, 2025 द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 19-03-2025 में एकीकृत पेंशन योजना का लाभ लेने वाले कर्मचारी 01 अप्रैल 2025 में तीन महीने के भीतर (30 जून तक) अपना विकल्प फॉर्म-A2 ऑनलाइन अथवा भौतिक रूप से भरकर समयविध में नि0 वि0-2 अनुभाग को उपलब्ध करायें। एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने का विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा। इस संबंध में Protean eGov Technologies Limited (Protean-CRA) का ई-मेल दिनांक 29/03/2025 की छाया प्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

संलग्नक:- यथोपरि

58

वरिष्ठ उपमहालेखाकार/ डी0 ए0 सी0 सी0

पत्रांक:- नि0 वि0-II/03/12634 - 12636

तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- 01. सचिव महालेखाकार (ले0 व ह0) -॥, 30 प्र0, प्रयागराज।
- ✓ 02. समस्त व0 खंडीय लेखाधिकारी/खंडीय लेखाधिकारी/ खंडीय लेखाकार को इस कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।
- ्03. समस्त अधिशासी अभियंता/कार्य अधीक्षक को को इस कार्यालय के वेबसाइट के माध्यम से।
 - 04. वरिष्ठ लेखाधिकारी/कम्प्यूटर प्रकोष्ठ को वैबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/नि0वि-2

Fwd: __arcise of UPS Option by existing Central Government Subscribers under NPS

From: AG AE II Uttar Pradesh Allahabad <agaeuttarpradesh2@cag.gov.in>

Sat, Mar 29, 2025 05:27 PM

Subject: Fwd: Exercise of UPS Option by existing Central Government Subscribers under

To: DAG Admin Cell <dagadmincell.up2.ae@cag.gov.in>

From: nps-communications@mailer.proteantech.in

To: "AG AE II Uttar Pradesh Allahabad" <agaeuttarpradesh2@cag.gov.in>

Sent: Saturday, March 29, 2025 5:19:32 PM

Subject: Exercise of UPS Option by existing Central Government Subscribers under NPS

Dear Sir/Madam,

Greetings from Protean eGov Technologies Limited (Central Recordkeeping Agency - CRA for Pensions).

We are pleased to inform you that the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) has issued the PFRDA (Operationalization of the Unified Pension Scheme under NPS) Regulations, 2025 through a gazette notification dated March 19, 2025. These regulations will come into effect from April 1, 2025, and are available for reference here: PFRDA Notification

As per the regulations, all the existing NPS Subscribers under Central Government have one-time option to opt for UPS and migrate their account (PRAN) from NPS to UPS. The key highlights of the migration process are as follows:

- All Central Government employees registered in NPS till March 31, 2025, are eligible to opt for UPS.
- The migration request must be submitted within three months from April 1, 2025.
- Once exercised, the option to migrate is final and irrevocable.

In this process, the Nodal Office (DDO/PAO) is required to process the migration request of the subscriber in the CRA system.

- Migration request can be initiated by the subscriber via the eNPS portal https://enps.nsdl.com or by submitting Form A2 to the respective Nodal Office (i.e.DDO or PAO).
- Form A2 is available for download on https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php.

Migration Process

The Central Government Subscribers can exercise their Migration request through:

eNPS Portal https://enps.nsdl.com: I.

The Subscriber to initiate the migration request through the eNPS portal and submit it via Aadhaar eSign.

1. The DDO to update employment details, (i.e Employee Code/ID, Date of commencement of qualifying service, Current Basic Pay, Non-Practicing Allowance (NPA) (if applicable), and the scheduled date for the 2. next increment), verify and submit the request for authorization of PAO.

The Migration request will be processed in the CRA system once the request is authorised by PAO 3.

Physical Submission:

- The Subscriber is required to fill and submit the physical Migration Form A2 to the Nodal Office (DDO/PAO). 1.
- The DDO/PAO is required to initiate the online request in CRA system for migration of PRAN, updating the 2.
- employment details. The Migration request will be processed in the CRA system once the Nodal Office authorizes the request.

A detailed Standard Operating Procedure (SOP) on the migration process of PRAN from NPS to UPS is available on https://www.npscra.nsdl.co.in/ups.php

For further assistance, reach out to Protean-CRA at our Toll-Free number 1800-2100-081 or email at cghelpdesk@proteantech.in. You may also visit our website for additional details, including Forms, FAQs and process quidelines.

Regards,

II.

[Cag-all-offices] Unified Pension Scheme (UPS).

From: MANOJ KUMAR <saoaudit-r@cag.gov.in>

Tue, May 06, 2025 09:37 AM

Subject: [Cag-all-offices] Unified Pension Scheme (UPS).

1 attachment

To: CAG-ALL-OFFICES < CAG-ALL-OFFICES@lsmgr.nic.in>

Cc: Sonali Chatterjee <aoent@cag.gov.in>

भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक का कार्यालय, पॉकेट 9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली

> सँख्याः- 69 स्टाफ हकदारी (नियम)/ए.आर/05-2023 दिनांकः- 05.05.2025

प्रति

1. भारतीय लेखा एवं लेखापरीक्षा विभाग के सभी कार्यालय।

2. निदेशक (कार्मिक)

विषय: Unified Pension Scheme (UPS).

महोदय/महोदया.


उपर्युक्त विषय पर वित्तीय सेवाए विभाग, वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यालय अधिसूचना No. FX-1/3/2024-PR दिनांक 24.01.2025 को इस ई-मेल के साथ संलग्न किया गया है।

क्षेत्रीय कार्यालय कृपया इस कार्यालय अधिसूचना को आवश्यक कार्रवाई हेत् इस ई-मेल के संलग्नक से

डाउनलोड कर लें। इसे संबंधित मंत्रालय की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं।

Notification F. No. FX-1/3/2024-PR. dated 24.01.2025 issued by Department of Financial Services, Ministry of Finance, New Delhi on the subject cited above is attached with this E-mail.

The field offices may download the Notification attached with the E-mail for further necessary action. It can also be downloaded from the website of the concerned Ministry.



भवदीय **हस्ता**/

(मनोज कुमार) वरि.प्रशा. अधिकारी/ स्टाफ हक.(नियम)

CAG-ALL-OFFICES mailing list -- cag-all-offices@lsmgr.nic.in
ounsubscribe send an email to cag-all-offices-leave@lsmgr.nic.in

UPS_Gazette_Notification UPS_24.01.2025.pdf 407 KB



सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012025-260482 CG-DL-E-25012025-260482

> असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 27]

नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 25, 2025/ माघ 5, 1946 NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 25, 2025/MAGHA 5, 1946

No. 27]

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2025

फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर.—वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की दिनांक 22 दिसंबर, 2003 की अधिसूचना संख्या एफ सं. 5/7/2003-ईसीबीएंडपीआर और वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 31 जनवरी, 2019 की अधिसूचना संख्या एफ सं.1/3/2016-पीआर के आंशिक संशोधन में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है।

2. **एकीकृत पेंशन योजना** केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत इस विकल्प को चुनते हैं। इसमें निम्नलिखित विशेषताएं होंगी, अर्थात्:

योजना के अंतर्गत पात्रता

- (i) सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा, अर्थात्:
 - (क) यदि कोई कर्मचारी दस वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है तो अधिवर्षिता की तारीख से;

- (ख) एफआर 56 (ञ) (जो केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अंतर्गत कोई शास्ति नहीं है) के प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से; और
- (ग) 25 वर्ष की न्यूनतम अर्हक सेवा अविध के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में, यदि सेवा अविध अधिवर्षिता तक जारी रहती तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।
- (ii) सेवा से हटाने या बर्खास्तगी या कर्मचारी के इस्तीफे के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे मामलों में एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लागू नहीं होगा।

योजना के अंतर्गत लाभ

- (iii) इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान, इस अधिसूचना में उल्लिखित अन्य शर्तों के अध्यधीन, निम्नानुसार होगा, अर्थात्:-
 - (क) पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति से तुरंत पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन की 50% होगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्षों की अर्हक सेवा के पश्चात् देय है;
 - (ख) कम अर्हक सेवा अवधि के मामले में आनुपातिक भुगतान स्वीकार्य होगा;
 - (ग) दस साल या उससे अधिक की अर्हक सेवा के पश्चात् सेवानिवृत्त होने पर प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटीयुक्त भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा; और
 - (घ) न्यूनतम 25 वर्ष की अर्हक सेवा के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में सुनिश्चित भुगतान, उस तारीख से शुरू होगा, जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता।
- (iv) अधिवर्षिता के पश्चात् भुगतान धारक की मृत्यु के मामले में उसकी मृत्यु से तत्काल पूर्व भुगतान धारक को स्वीकार्य भुगतान का 60% कानूनी रूप से विवाहित पित या पत्नी (यथा अनुप्रयोज्य अधिवर्षिता या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या एफआर 56 (ञ) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तारीख) को दिया जाएगा।
- (v) महंगाई राहत, सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान, जैसा भी मामला हो, पर उपलब्ध होगी। महंगाई राहत की गणना सेवारत कर्मचारियों पर लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। महंगाई राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही देय होगी।
- (vi) अर्हक सेवा के प्रत्येक पूर्ण छह महीने के लिए मासिक परिलब्धियों (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) की 10% की दर से अधिवर्षिता पर एकमुश्त भुगतान की अनुमित दी जाएगी। यह एकमुश्त भुगतान सुनिश्चित भुगतान की मात्रा को प्रभावित नहीं करेगा।
- (vii) एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस दो निधियों को मिलाकर बनेगा, अर्थात्:-
 - (क) कर्मचारी के अंशदान और उसी के बराबर केंद्र सरकार के अंशदान के साथ एक व्यक्तिगत कॉर्पस; और
 - (ख) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के साथ एक पूल कॉर्पस।
- (viii) कर्मचारियों का अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। इसके बराबर ही केंद्र सरकार का भी अंशदान (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का 10% होगा। दोनों को प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा।

- (ix) केंद्र सरकार उन सभी कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% (मूल वेतन + महंगाई भत्ता) का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी, जिन्होंने समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है।
- (x) कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' परिभाषित किया जा सकता है। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है, तो निवेश का 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' लागू होगा।
- (xi) केन्द्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केन्द्र सरकार का होगा।
- (xii) उन कर्मचारियों के संबंध में, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प को चुनते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण टॉप-अप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करेगा।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजन हेतु मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदले चिकित्सा अधिकारी को दिया गया गैर-प्रैक्टिसिंग भत्ता शामिल है।

- 3. एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के परिचालन में आने की प्रभावी तारीख को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत केंद्र सरकार के विद्यमान कर्मचारियों के साथ-साथ केंद्र सरकार के भावी कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत या तो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन कर सकते हैं या एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के बिना राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में बने रह सकते हैं। यदि कोई कर्मचारी एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन करता है, तो इसके सभी निर्धारण एवं शर्तें को अपनाया गया माना जाएगा और यह एक बार चुने जाने के बाद अंतिम होगा।
- 4. एक बार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए कर्मचारी, जो एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के परिचालन की प्रभावी तिथि पर सेवा में हैं, एकीकृत पेंशन योजना विकल्प का उपयोग करते हैं, तो कर्मचारी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली कॉर्पस बकाया को एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में अंतरित कर दिया जाएगा।
- 5. राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर किए गए प्रत्येक कर्मचारी, जिन्होंने एकीकृत पेंशन योजना का विकल्प लिया है, के लिए पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित तरीके से 'बेंचमार्क कॉर्पस' मूल्य की गणना निम्नलिखित पूर्वानुमानों के साथ की जाएगी, अर्थातु: -
 - (क) अर्हक सेवा के प्रत्येक महीने के लिए कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के लिए प्रयोज्य अंशदान की नियमित प्राप्तिः
 - (ख) अनुपलब्ध अंशदानों के मामले में पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाने वाला उपयुक्त मूल्य तय किया जाएगा; और
 - (ग) ऐसे अंशदानों का निवेश पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा यथा परिभाषित निवेश के 'डिफ़ॉल्ट पैटर्न' के अनुसार किया जाता है।
- 6. कर्मचारी के निवेश विकल्पों के साथ व्यक्तिगत कॉर्पस में मूल्य या यूनिटों को आवधिक आधार पर ऐसे कर्मचारी को सूचित किया जाएगा। इसके साथ-साथ, कर्मचारी के अनुरूप बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों, जिनकी गणना उपरोक्त

पैरा 5 के अनुसार की गई है, को भी कर्मचारी को सूचित किया जाएगा।

- 7. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत कर्मचारी की अर्हक सेवा उस कार्यालय प्रमुख द्वारा निर्धारित की जाएगी जहां वह कार्यरत है।
- 8. अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति पर एकीकृत पेंशन योजना के अंतर्गत कर्मचारी सुनिश्चित भुगतान के प्राधिकार के लिए बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों के बराबर पूल कॉर्पस में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य या यूनिटों को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत करेगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम है, तो कर्मचारी के पास इस अंतर को पूरा करने के लिए अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करने का विकल्प होगा। यदि व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य या यूनिट बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से अधिक है, तो कर्मचारी बेंचमार्क कॉर्पस के बराबर मूल्य या यूनिट के अंतरण को अधिकृत करेगा और व्यक्तिगत कॉर्पस में शेष राशि कर्मचारी को दी जाएगी।
- 9. यदि कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में अंतरित मूल्य या यूनिट, बेंचमार्क कॉर्पस के मूल्य या यूनिट से कम हैं, तो सुनिश्चित भुगतान के अनुपात में भुगतान अधिकृत किया जाएगा।
- 10. एकीकृत पेंशन योजना, एक 'निधि-आधारित' पेंशन प्रणाली होने के नाते, कर्मचारियों को सुनिश्चित भुगतान प्रयोज्य अंशदान (कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से) के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करता है।
- 11. सुस्पष्टता के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि कोई भी कर्मचारी जिसने इस अधिसूचना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अधीन एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प का चयन किया है, वह सेवानिवृत्ति के पश्चात् सहित किसी अन्य नीतिगत रियायत, नीति परिवर्तन, वित्तीय लाभ, बाद में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के साथ किसी भी समानता आदि की मांग के लिए पात्र नहीं होगा और दावा नहीं कर सकता है।
- 12. एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान उन राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों, जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पहले अधिवर्षिता प्राप्त कर चुके हैं, पर भी यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों को लोक भविष्य निधि दरों के अनुसार ब्याज सिहत पिछली अविध के लिए बकाये का भुगतान किया जाएगा। ऐसे अधिवर्षिता प्राप्त कर्मचारियों के लिए मासिक टॉप-अप रािश, जिसे पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जाएगा, का भुगतान उनके द्वारा की गई निकासी और उन्हें भुगतान की गई वार्षिकी को समायोजित करने के पश्चात् किया जाएगा।
- 13. अधिवर्षिता के समय अनुशासनात्मक कार्यवाही का सामना करने वाले या जहां सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विचार किया जाता है, ऐसे कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना विकल्प के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान के बारे में प्रावधान अलग से अधिसूचित किया जाएगा।
- 14. विभिन्न परिदृश्यों के अंतर्गत एकीकृत पेंशन योजना के भुगतान कार्यकरण के रूप में व्याख्यात्मक उदाहरण अनुबंध में दिए गए हैं।
- 15. पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन के लिए विनियम जारी कर सकता है।
- 16. एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) के परिचालन की प्रभावी तिथि 1 अप्रैल, 2025 होगी।

अनुबंध

वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग) की दिनांक 24 जनवरी, 2025 की अधिसूचना फा. सं. एफएक्स-1/3/2024-पीआर के पैराग्राफ 14 में संदर्भित अनुबंध

क. स्वीकार्य मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण

पूर्वानुमान के निम्नलिखित सेट के साथ विभिन्न परिदृश्यों के सेट पर विचार किया गया है, अर्थात्:

- (i) किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन 45,000 रुपये (पी के रूप में चिह्नित) है।
- (ii) कर्मचारी के पास 25 वर्ष (300 महीने) या उससे अधिक (क्यू के रूप में चिह्नित) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।
- (iii) कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है।
- (iv) कर्मचारी ने निवेश का 'डिफॉल्ट पैटर्न' चुना है।
- (v) कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है।

परिदृश्य 1: कर्मचारी (i) से (v) तक सभी शर्तों को पूरा करता है।

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
- इस मामले में बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य भी 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होना चाहिए।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$= (\frac{\text{पl}}{2}) \times (\frac{\text{क्यू}}{300}) \times (\frac{\text{आईसी}}{\text{बीसी}})$$
 इस शर्त के साथ कि;

- (i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा।
- (ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2})$$
 X $(\frac{300}{300})$ X $(\frac{50,00,000}{50,000,000})$ = ₹ 22,500 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

नोट:- इस मामले में सुनिश्चित भुगतान पूर्ण सुनिश्चित भुगतान के बराबर होता है

परिदृश्य 2: कर्मचारी (i) और (iii) से (v) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 15 साल (180 महीने) की अईक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 30,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 30,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$=(\frac{\pi}{2}) \times (\frac{\pi q}{300}) \times (\frac{\Im(\$ + 1)}{\Im(\$ + 1)})$$
 इस शर्त के साथ कि

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 के रूप में लिया जाएगा।

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2})$$
 \times $(\frac{180}{300})$ \times $(\frac{30,00,000}{30,00,000})$ = ₹13,500 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

परिदृश्य 3: कर्मचारी (i) और (iii) से (v) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के पास 10 साल (120 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिहिनत) है।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{\text{पl}}{2}) \times (\frac{\text{क्यू}}{300}) \times (\frac{\text{आईसी}}{\text{बीसी}})$$
 इस शर्त के साथ कि;

- (i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा
- (ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

$$=(\frac{45,000}{2})\times(\frac{120}{300})\times(\frac{25,00,000}{25,00,000})=\text{ ₹ 9,000}$$

जिसे 10,000 रुपये के न्यूनतम सुनिश्चित भुगतान के साथ-साथ लागू महंगाई राहत (डीआर) तक बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बेंचमार्क कॉर्पस का पूरा मूल्य व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में जमा किया गया है।

परिदृश्य 3 (क): कर्मचारी (i), (iii) और (iv) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की। कर्मचारी के पास 10 साल (120 महीने) की अर्हक सेवा (अंशदान के महीनों की संख्या के आधार पर) है।

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 22,00,000 रुपये (8,800 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 25,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) होगा।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{1}{2}) \times (\frac{3}{300}) \times (\frac{31}{3}) = (\frac{3}{3}) \times (\frac{31}{3}) \times (\frac{$$

- (i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा
- (ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

$$= (\frac{45,000}{2}) \times (\frac{120}{300}) \times (\frac{22,00,000}{25,00,000}) = \text{ ₹ 8,800}$$

इस मामले में पेंशन 8800 रुपये के साथ लागू महंगाई राहत (डीआर) होगी, क्योंकि व्यक्तिगत कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पूर्ण कॉर्पस जमा नहीं किया गया है।

परिदृश्य 4: कर्मचारी (i), (ii), (iv) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी के सभी अंशद्रान नियमित रूप से जमा नहीं किए गए हैं और जमा में कुछ चूक शामिल हैं, जिन्हें कर्मचारी द्वारा ठीक/व्यवस्थित नहीं किया गया है।

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कोष का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। जमा में हुई चूक के
 लिए औसत अंशदान को ध्यान में रखते हुए बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।

कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{\eta}{2}) \times (\frac{\partial \eta}{\partial \theta}) \times (\frac{\partial \eta}{\partial \theta})$$
 इस शर्त के साथ कि;

- (i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा
- (ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2})$$
 \times $(\frac{300}{300})$ \times $(\frac{45,00,000}{50,00,000})$ = ₹ 20,250 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

परिदृश्य 5: कर्मचारी (i) से (iv) तक शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने आंशिक निकासी की, बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में जिसका मूल्य सेवानिवृत्ति से पहले कर्मचारी द्वारा वापस नहीं किया गया है।

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 40,00,000 रुपये (8,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
- वेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिहिनत) है। कोई आंशिक निकासी नहीं होने पर विचार करते हुए बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया जाएगा।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{\text{tl}}{2}) \times (\frac{\text{क्यू}}{300}) \times (\frac{\text{आईसी}}{\text{बीसी}})$$
 इस शर्त के साथ कि:

- (i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा
- (ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2})$$
 X $(\frac{300}{300})$ X $(\frac{40,00,000}{50,00,000})$ = ₹ 18,000 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

परिदृश्य 6: कर्मचारी (i), (ii), (iii) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से अधिक है

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 55,00,000 रुपये (11,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{\psi}{2}) \times (\frac{\partial \psi}{\partial 0}) \times (\frac{\partial \psi}{\partial \psi})$$
 इस शर्त के साथ कि ;

- (i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा
- (ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{50,00,000}{50,00,000}) = ₹ 22,500 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।$$

इस मामले में, कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर अपने नामित बैंक खाते में बेंचमार्क कॉर्पस (यानी 5,00,000 रुपये) की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस का अतिरिक्त मूल्य मिलेगा।

परिदृश्य 7: कर्मचारी (i), (ii), (iii) और (v) शर्तों को पूरा करता है। कर्मचारी ने व्यक्तिगत कॉर्पस में निवेश विकल्पों का विकल्प चुना और व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य बेंचमार्क कॉर्पस से कम है।

(क) यदि कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई नहीं करता है:

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है; चूंकि कर्मचारी द्वारा प्रयोग किए गए निवेश विकल्पों के कारण, कर्मचारी ने बेंचमार्क कॉर्पस की तुलना में व्यक्तिगत कॉर्पस के मूल्य की भरपाई नहीं की।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{1}{2}) \times (\frac{a \sqrt{2}}{300}) \times (\frac{\sin (\pi + 1)}{\sin (\pi + 1)})$$
 इस शर्त के साथ कि;

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{45,00,000}{50,00,000})$$
 = ₹ 20,250 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

(ख) यदि कर्मचारी आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस की भरपाई करता है:

- सेवानिवृत्ति पर कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 45,00,000 रुपये (9,000 यूनिट) (आईसी के रूप में चिह्नित) है; कर्मचारी ने आंशिक रूप से व्यक्तिगत कॉर्पस में 2,50,000 रुपये तक भरपाई की, इसलिए कॉर्पस अब 47,50,000 रुपये (9,500 यूनिट) है।
- बेंचमार्क कॉर्पस का मूल्य 50,00,000 रुपये (10,000 यूनिट) (बीसी के रूप में चिह्नित) है। निवेश के 'डिफॉल्ट पैटर्न' के आधार पर बेंचमार्क कॉर्पस तैयार किया गया है।
- कर्मचारी का सुनिश्चित भुगतान होगा

$$(\frac{1}{2}) \times (\frac{32}{300}) \times (\frac{315}{3141})$$
 इस शर्त के साथ कि;

(i) यदि क्यू 300 से अधिक है, तो इसे 300 माना जाएगा

(ii) यदि (पी/2) X क्यू/300 10,000 से कम है, तो इसे 10,000 के रूप में लिया जाएगा।

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{47,50,000}{50,000,000})$$
 = ₹ 21,375 में लागू महंगाई राहत (डीआर) जोड़कर।

ख. <u>अधिवर्षिता या 25 वर्ष की अर्हक सेवा पूरी होने के पश्चात् स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति और एफआर 56(ञ) के अंतर्गत</u> सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान के व्याख्यात्मक उदाहरण

सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन और महंगाई भत्ता निम्नानुसार माना गया है:

अधिवर्षिता या वीआर या एफआर 56 (जे) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति की तिथि के अनुसार मूल वेतन	₹ 45,000 ೄ
उस पर महंगाई भत्ता @ 53%	₹ 23,850
कुल परिलब्धियां	₹ 68,850

एकमुश्त राशि = $(\frac{1}{10}$ X 68,850) X एल = 6,885 X एल

जहाँ **एल** = व्यक्ति की पेंशन कॉर्पस में अंशदान के लिए महीनों की संख्या के आधार पर सेवा के छह-मासिक पूर्ण वर्षों की संख्या

अर्हक सेवा की अवधि के आधार पर एकमुश्त राशि:

परिलब्धियों का 1/10	अर्हक सेवा की अवधि (अंशदान के महीनों की संख्या) एल	पूर्ण 6 महीनों की संख्या	एकमुश्त राशि (₹)
(₹)	74 (1641) Ç(1	41941	
6,885	10 वर्ष (120 माह)	20	1,37,700
	15 वर्ष (180 माह)	30	2,06,550
	20 वर्ष (240 माह)	40	2,75,400
	25 वर्ष (300 माह)	50	3,44,250
	30 वर्ष (360 माह)	60	4,13,100
	35 वर्ष (420 माह)	70	4,81,950

नोट: कोई एकमुश्त राशि देय नहीं होगी, यदि सेवा की अवधि 10 वर्ष (120 महीने से कम अंशदान) से कम है, क्योंकि ऐसे मामले में एकीकृत पेंशन योजना लागू नहीं है।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2025

- F. No. FX-1/3/2024-PR.—In partial modification of the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) Notification No. F. No. 5/7/2003-ECB&PR dated 22nd December, 2003 and Ministry of Finance (Department of Financial Services) Notification No. F. No. 1/3/2016-PR dated 31st January, 2019, the Central Government has decided to introduce Unified Pension Scheme, as an option under the National Pension System for the employees of the Central Government who are covered under the National Pension System.
- 2. The Unified Pension Scheme shall be applicable to such Central Government employees who are covered under National Pension System and who choose this option under National Pension System. It will have the following features, namely: -

Eligibility under the Scheme

- (i) Assured Payout shall be available only in the following cases, namely: -
 - (a) in case of an employee superannuating after qualifying service of ten years, from the date of superannuation;
 - (b) in case of the Government retiring an employee under the provisions of FR 56 (j) (which is not a

- penalty under Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965) from the date of such retirement; and
- (c) in case of voluntary retirement after a minimum qualifying service period of 25 years, from the date such employee would have superannuated, if the service period had continued to superannuation.
- (ii) Assured Payout shall not be available in case of removal or dismissal from service or resignation of the employee. In such cases, the Unified Pension Scheme option shall not apply.

Benefits under the Scheme

- (iii) Subject to other conditions stated in this notification, Assured Payout under the scheme shall be as follows, namely: -
 - (a) the rate of full assured payout will be @50% of twelve monthly average basic pay, immediately prior to superannuation. Full assured payout is payable after a minimum 25 years of qualifying service:
 - (b) in case of lesser qualifying service period, proportionate payout would be admissible;
 - (c) a minimum guaranteed payout of Rs. 10,000 per month shall be assured in case superannuation is after ten years or more of qualifying service; and
 - (d) in cases of voluntary retirement after a minimum 25 years of qualifying service, assured payout will commence from the date on which the employee would have superannuated, if he had continued in service.
- (iv) In case of death of the payout holder after superannuation, family payout @60% of the payout admissible to the payout holder, immediately before his demise, will be assured to the legally wedded spouse (spouse legally wedded as on the date of superannuation or on the date of voluntary retirement or retirement under FR 56(j), as may be applicable).
- (v) Dearness Relief will be available on the assured payout and family payout, as the case may be. The Dearness Relief will be worked out in the same manner as Dearness Allowance applicable to serving employees. Dearness Relief will be payable only when payout commences.
- (vi) A lump sum payment will be allowed on superannuation @10% of monthly emoluments (basic pay + Dearness Allowance) for every completed six months of qualifying service. This lump sum payment will not affect the quantum of assured payout.
- (vii) The corpus under the Unified Pension Scheme option will comprise of two funds, namely:-
 - (a) An individual corpus with employee contribution and matching Central Government contribution; and
 - (b) A pool corpus with additional Central Government contribution.
- (viii) The contribution of employees will be 10% of (basic pay + Dearness Allowance). The matching Central Government contribution will also be 10% of (basic pay + Dearness Allowance). Both will be credited to each employee's individual corpus.
- (ix) Central Government shall provide an additional contribution of an estimated 8.5% of (basic pay + Dearness Allowance) of all employees who have chosen the Unified Pension Scheme option, to the pool corpus on an aggregate basis. The additional contribution is for supporting assured payouts under the Unified Pension Scheme option.
- (x) The employee can exercise investment choices for the individual corpus alone. Such investment choices shall be regulated by the Pension Fund Regulatory and Development Authority. A 'default pattern' of investment may be defined by Pension Fund Regulatory and Development Authority from time to time. If an employee does not exercise an investment choice on individual corpus, the 'default pattern' of investment will apply.
- (xi) The investment decisions for the pool corpus built through the additional Central Government contribution will solely rest with Central Government.
- (xii) In respect of employees who have retired before the date of operation of Unified Pension Scheme and who opt for the Unified Pension Scheme option, Pension Fund Regulatory and Development Authority will determine the mechanism for making available the top- up amount.

Explanation: For the purpose of this notification basic pay includes non-practicing allowance granted to medical officer in lieu of private practice.

3. The existing Central Government Employees under National Pension System, on the effective date of operationalisation of the Unified Pension Scheme option, as well as the future employees of Central Government can choose to either take the Unified Pension Scheme option under the National Pension System or continue with the National Pension System without the Unified Pension Scheme option. In case an employee chooses the Unified Pension Scheme option all its stipulations and conditions shall be deemed to

have been opted for and such option once exercised, shall be final.

- 4. Once an employee covered under National Pension System, who is in service on the effective date of operationalisation of the Unified Pension Scheme option, exercises the Unified Pension Scheme option, the outstanding National Pension System corpus in the employees Permanent Retirement Account Number shall be transferred to the employee's individual corpus under the Unified Pension Scheme.
- 5. For each employee covered under National Pension System who has exercised the Unified Pension Scheme option, a 'benchmark corpus' value shall be computed, in such manner as may be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, with the following assumptions, namely:
 - regular receipt of applicable contributions for both the employees and the employer for each month of qualifying service;
 - (ii) in case of missing contributions, an appropriate value, to be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, shall be assigned; and
 - (iii) investment of such contributions is made as per the 'default pattern' of investment, as defined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority.
- 6. The value or units in the individual corpus with investment choices of the employee shall be informed to such employee on a periodic basis. Alongside, the value or units of the benchmark corpus corresponding to the employee, computed as per para 5 above will also be informed to the employee.
- 7. At superannuation or retirement, the qualifying service of the employee under the Unified Pension Scheme option, will be determined by the Head of Office, where he is employed.
- 8. At superannuation or retirement, the employee under Unified Pension Scheme shall authorise transfer of the value or units in the individual corpus to the pool corpus, equivalent to the value or units of the benchmark corpus for authorisation of Assured Payout. In case the value or units of individual corpus is less than value or units of the benchmark corpus, the employee will have an option to arrange for additional contribution to meet this gap. In case the value or units of individual corpus is more than the value or units of the benchmark corpus, the employee shall authorise transfer of value or units equivalent to the benchmark corpus and the balance amount in the individual corpus will be credited to the employee.
- 9. In case the values or units transferred by the employee from the individual corpus to the pool corpus, is less than the value or units of the benchmark corpus, payout proportionate to the assured payout shall be authorised.
- 10. The Unified Pension Scheme, being a 'fund-based' pension system, relies on the regular and timely accumulation and investment of applicable contributions (from both the employee and the employer) for Assured Payout to the employees.
- 11. For the sake of clarity, it is made clear that any employee who has exercised the Unified Pension Scheme option under National Pension System under this notification, shall not be entitled for and cannot claim, any other policy concession, policy change, financial benefit, any parity with subsequent retirees etc. later including post-retirement.
- 12. The provisions of Unified Pension Scheme will also be applicable, *mutatis mutandis* to past retirees of National Pension System, who have superannuated before the date of operationalising of Unified Pension Scheme. Such superannuated employees will be paid arrears for the past period along with interest as per Public Provident Fund rates. The monthly top-up amount for such superannuated employees, to be determined by the Pension Fund Regulatory and Development Authority, will be paid after adjusting the withdrawals made by, and annuities paid to, them.
- 13. The provisions regarding assured payout under the Unified Pension Scheme option for employees facing disciplinary proceedings at the time of superannuation or where disciplinary proceedings are contemplated post-retirement, shall be separately notified.
- Illustrative examples as to working of payouts of Unified Pension Scheme under different scenarios are given in the Annexure.
- Pension Fund Regulatory and Development Authority may issue regulations for operationalising Unified Pension Scheme.
- The effective date for operationalisation of the Unified Pension Scheme shall be 1st April, 2025.

ANNEXURE

ANNEXURE REFERRED TO IN PARAGRAPH 14 OF THE MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES) NOTIFICATION F. NO. FX-1/3/2024-PR DATED- THE 24th JANUARY, 2025

A. Illustrative Examples of Admissible Monthly Assured Payout

A set of different scenarios have been considered with the following set of assumptions, namely:-

- (i) The 12 monthly average basic pay before superannuation of an employee is Rs 45,000 (denoted as P).
- (ii) The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 25 years (300 months) or more (denoted as Q).
- (iii) All contributions of the employee have been credited regularly and there are no missing credits.
- (iv) The employee has opted for 'default pattern' of investment.
- (v) The employee did not make any partial withdrawals

Scenario 1: The employee fulfils all conditions (i) to (v).

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus in this case should also be Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC).
- · The assured payout of the employee will be

$$=(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

$$= (\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{50,00,000}{50,00,000}) = \text{Rs } 22,500 \text{ plus applicable Dearness Relief (DR)}.$$

NOTE:- In this case assured payout equals full assured payout

<u>Scenario 2</u>: The employee fulfils the conditions (i) and (iii) to (v). The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 15 years (180 months).

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 30,00,000 (8,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus will be Rs 30,00,000 (8,000 units) (denoted as BC).
- The assured payout of the employee will be

$$=(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300.
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{180}{300}) \times (\frac{30,00,000}{30,00,000}) = \text{Rs } 13,500 \text{ plus applicable Dearness Relief (DR)}.$$

Scenario 3: The employee fulfils the conditions (i) and (iii) to (v). The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 10 years(120months).

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 25,00,000 (10,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus will be Rs 25,00,000 (10,000 units) (denoted as BC).

· The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \ge \left(\frac{Q}{300}\right) \! \ge (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

$$= (\frac{45,000}{2}) \times (\frac{120}{300}) \times (\frac{25,00,000}{25,00,000}) = \text{Rs } 9,000$$

which will be raised to the minimum assured payout of Rs 10,000 plus applicable Dearness Relief (DR), as the full value of the bench mark corpus has been deposited from the individual corpus to the pool corpus.

Scenario 3(a): The employee fulfils the conditions (i), (iii) and (iv). The employee made partial withdrawals. The employee has a qualifying service (based on the number of months of contribution) of 10 years (120 months).

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 22,00,000 (8,800 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus will be Rs 25,00,000 (10,000 units) (denoted as BC).
- · The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{120}{300}) \times (\frac{22,00,000}{25,00,000}) = \text{Rs } 8,800$$

In this case assured payout will be Rs. 8800 plus applicable Dearness Relief (DR), as full corpus has not been deposited from the individual corpus to the pool corpus

Scenario 4: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iv) and (v). All contributions of the employee have not been credited regularly and there are some missing credits which has not been made good/arranged to be made good by the employee.

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus
 has been worked out considering an average contribution for the missing credits.
- The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{45,00,000}{50,00,000})$$
 = Rs 20,250 plus applicable Dearness Relief (DR)

Scenario 5: The employee fulfils the conditions (i) to (iv). The employee made partial withdrawals, the value of which, vis-à-vis the benchmark corpus, has not been recouped by the employee before retirement.

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 40,00,000 (8,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus will be worked out considering no partial withdrawals.
- The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that:

(i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300

(ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{40,00,000}{50,00,000}) = \text{Rs } 18,000 \text{ plus applicable Dearness Relief (DR)}$$

Scenario 6: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iii) and (v). The employee opted for investment choices in the individual corpus and the value of the individual corpus is higher than benchmark corpus

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 55,00,000 (11,000 units) (denoted as IC).
- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus
 has been worked out based on 'default pattern' of investment.
- The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that ;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

=
$$(\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{50,00,000}{50,00,000}) = \text{Rs } 22,500 \text{ plus applicable Dearness Relief (DR)}$$

In this case, the employee will get a credit of the excess value of individual corpus vis-à-vis benchmark corpus (i.e. Rs 5,00,000) in his designated bank account at retirement.

Scenario 7: The employee fulfils the conditions (i), (ii), (iii) and (v). The employee opted for investment choices in the individual corpus and the value of the individual corpus is lower than benchmark corpus.

(a) If the employee does not recoup the individual corpus:

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC); as the employee did not recoup the value of the individual corpus vis-à-vis the benchmark corpus, owing to the investment choices exercised by the employee.
- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus
 has been worked out based on 'default pattern' of investment.
- The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

$$= (\frac{45,000}{2}) \times (\frac{300}{300}) \times (\frac{45,00,000}{50,00,000}) = \text{Rs } 20,250 \text{ plus applicable Dearness Relief (DR)}$$

(b) If the employee partially recoups the individual corpus:

- The value of the individual corpus of the employee at retirement is Rs 45,00,000 (9,000 units) (denoted as IC); the employee recouped partially the individual corpus by Rs 2,50,000, so the corpus now stands at Rs.47,50,000 (9,500 Units).
- The value of the benchmark corpus is Rs 50,00,000 (10,000 units) (denoted as BC). The benchmark corpus
 has been worked out based on 'default pattern' of investment.
- The assured payout of the employee will be

$$(\frac{P}{2}) \times (\frac{Q}{300}) \times (\frac{IC}{BC})$$
 with the condition that;

- (i) if Q exceeds 300, it will be taken as 300
- (ii) if (P/2) XQ/300 is less than 10,000, it will be taken as 10,000.

=
$$(\frac{45,000}{200}) \times (\frac{300}{200}) \times (\frac{47,50,000}{200}) = \text{Rs } 21.375 \text{ plus applicable Dearness Relief (DR)}$$